न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 25 / 2014 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. आसुसिंह पुत्र तगसिंह 2. बगतावरसिंह पुत्र मोडसिंह 3. शैतानसिंह पुत्र मोडसिंह 4. हरीसिंह पुत्र मोडसिंह 5. दलपतसिंह पुत्र मोडसिंह 6. मीरा पत्नी मोडसिंह 7. नरसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति राजपूत निवासी सिन्धसवा चौहान	बनाम	1.गणपतसिंह पुत्र फुआ उर्फ फरससिंह 3.श्रवण कुमार उर्फ श्रवणसिंह पुत्र फरससिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गुड़ामालानी 3.कचरा पुत्र प्रेमा 4.भेरा पुत्र पना 5.गंगाराम पुत्र पुरखाराम जाति कलबी निवासी सिन्धासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 169/2011 बअनवान गणपतसिंह वगैरह बनाम आसुसिंह वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.05.2012 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सम्पतराज बोथरा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री दलपतसिंह सिसोदिया रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से ।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 23.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में उतरदाता संख्या 01 व 02 ने इस आशय का वाद पेश किया कि उतरदाता संख्या 01 व 02 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 5/1 रकबा 17.01 बीघा मोजा जुड़ी तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि जो नक्शा प्रदर्श पी 02 में बंरग काला दर्शायी गई है उक्त बिन्दु ई एच डी से घिरे भू भाग का कब्जा उतरदाता संख्या 01 व 02 को सुपुर्द करने के अपीलार्थी व उतरदाता संख्या 03 से 05 को आदेश दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया। अपीलार्थी के विरूद्व किसी भी प्रकार की सम्मन की तामिल अपीलांटगण से नहीं हुई। अपीलार्थीगण की खातेदारी का जो खेत आया हुआ है उसका खसरा संख्या 03 रकबा 29.04 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मौजा प्रेमनगर ग्राम पंचायत सिंधासवा हरनियान की सरहद में आया हुआ है। उपरोक्त खेत खसरा संख्या 03 के पास में दो गांवों की सीमा लगती है खेत खसरा संख्या 05/1 के मौजा सिंधासवा चौहान की सीमा लगती है तथा खेत खसरा संख्या 03 के मौजा सिंधासवा चौहान के साथ साथ सिंधासवा हरनियान की सीमा लगती है जहां दो गांवों की सीमा एक साथ मिलती हो वहां सीमाओं में अन्तर के कारण एक तरफ से खेत नापने पर दूसरे गांव की सीमा में नेखम चली जाती है इस सीमाओं के विवाद के कारण ही वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 5/1 मौजा जुड़ी की सही नेखमंदी नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय एवं विधि विरूद्ध प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया। अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की सम्मन की तामिल अपीलांटगण से नहीं हुई। अपीलार्थीगण की खातेदारी का जो खेत आया हुआ है उसका खसरा संख्या 03 रकबा 29.04 बीघा मौजा प्रेमनगर ग्राम पंचायत सिंधासवा हरनियान की सरहद में आया हुआ है। उपरोक्त खेत खसरा संख्या 03 के पास में दो गांवों की सीमा लगती है खेत खसरा संख्या 05/1 के मौजा सिंधासवा चौहान की सीमा लगती है तथा खेत खसरा संख्या 03 के मौजा सिंधासवा चौहान के साथ साथ सिंधासवा हरनियान की सीमा लगती है जहां दो गांवों की सीमा एक साथ मिलती हो वहां सीमाओं में अन्तर के कारण एक तरफ से खेत नापने पर दूसरे गांव की सीमा में नेखम चली जाती है इस सीमाओं के विवाद के कारण ही वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 5/1 मौजा जुड़ी की सही नेखमंदी नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय एवं विधि विरूद्ध प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट/वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी भूमि पर अपीलांटगण/प्रतिवादी ने अनाधिकृत एवं अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन पर सम्यक तामील है, जो पर्याप्त तामील की श्रेणी में आती है। न्यायालय में कोई पक्षकार बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय किसी पक्षकार का इंतजार नहीं करेगा तथा अपनी अग्रिम कार्यवाही के लिए बढेगा। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित समझते है। अपीलांट के वकील ने मियाद के बिंदु पर बहस करते हुए बताया कि हल्का पटवारी एवं हल्का भू निरीक्षक द्वारा दिनांक 08.07.2014 को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय की पालना सुनिश्चित करने हेतु अपीलार्थीगण के खेत में आये तथा उन्होने न्यायालय के निर्णय की जानकारी दी जिस पर अपीलांटगण ने आलोच्य निर्णय की अधीनस्थ न्यायालय से नकले प्राप्त की नकले मिलने तथा जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपील को पेश करने में सद्भाविक रूप से हुए विलंब को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.10.2016 के विरूद्ध अपील दिनांक 23.05.2012 को पेश की गई जो तकरीबन 02 वर्ष 02 माह बाद पेश की गई। जो की अत्यधिक विलंब से पेश की गई। तथा 02 वर्ष 02 माह साल के विलंब को Explain नहीं किया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज की जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुचे कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा की गई देरी सदभाविक नहीं है। तथा 02 वर्ष 02 माह की देरी को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। चूंकि पत्रावली पर मैरिट की बहस भी सुनी जा चुकी है। अतः पत्रावली पर निर्णय मैरिट पर भी करना उचित होगा।

अपीलांट द्वारा बहस एवं अपील में इंगित आपत्तियों का परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संदर्भ में किया। अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जारी सम्मन आदेशिका दिनांक 13.04.2012 के अनुसार **"तामील शुदा प्राप्त हुए। सम्मन तामील के बावजूद प्रतिवादीगण अनुपस्थित है जो एकतरफा किये जाते है।"** मूल पत्रावली में संलग्न तामीलशुदा सम्मन देखे जो सभी प्रतिवादीगण पर व्यक्तिश तामील करवाने की रिपोर्ट होकर जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी प्राप्त हुए है। अपीलांट्स के कथन एवं दलील सही नहीं है। उन्हें **बाकायदा सम्मन व्यक्तिशः तामील हुए फिर भी वे सम्मन में निर्दिष्ट** तिथि 14.11.2011 को न्यायायल में उपसजात नहीं हुए लिहाजा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हुई जो विधि सम्मत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

है। इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट्स के विरूद्ध एकतरफा एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय सही एवं विधि सम्मत है। अतः उक्त प्रकट तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु व मैरिट पर खारिज करना न्यायोचित ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने व गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 169/2011 बअनवान गणपतसिंह वगैरह बनाम आसुसिंह वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.05.2012 को यथावत रखा जाता है।

23/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner